राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/ले.टे/(एफ–685)/2019/338 दिनांक : 30/05/19

आदेश

श्री जितेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन स्थानान्तरणाधीन ने प्रर्थाना पत्र दिनांक 09.04.2019 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 619/2019 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 की प्रति संलग्न कर आदेश की पालना में कार्यग्रहण कराने बाबत् निवेदन किया है।

निदेशालय के आदेश क्रमांक 242 दिनांक 07.02.2019 के क्रम संख्या 20 पर अंकितानुसार श्री जितेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन का स्थानान्तरण एम.बी.एस चिकित्सालय, कोटा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के अधीन किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 619/2019 दायर की जिसमें राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 निम्नानुसार है:–

"अपीलार्थी की विशेष समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दिनांक 16.04.2019 तक प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देशि दिये जाते है कि पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा आम चुनाव, 2019 की आदर्श आचार संहिता समाप्ति के बाद 15 दिवस में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे"

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि परिवार कोटा में निवास करता है, 8 माह पूर्व ही स्थानान्तरण कोटा हुआ है, बहन 40 प्रतिशत विकलांग है, माताजी वृद्व है जिनकी तबियत खराब रहती है उन्हें राईट ओवेरियन सिस्ट व गॉल ब्लेडर में स्टोन की वजय से हमेशा बीमार रहती है तथा 3 साल की छोटी बेटी का इसी वर्ष विद्यालय में प्रवेश भी करा दिया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोटा में ही या कोटा जिले के आसपास समायोजन करने बाबत् निवेदन किया है।

अतः अपीलार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों के एवं चिकित्सा विभाग में वर्तमान में लैब टेक्नीशियन की कमियों के मध्यनजर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 की पालना में याचि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद् द्वारा स्वीकर किया जाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 242 दिनांक 07.02.2019 के क्रम संख्या 20 पर अंकितानुसार श्री जितेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन का स्थानान्तरण एम.बी.एस चिकित्सालय, कोटा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के अधीन किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन का **कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय न0 3 कोटा** मे लैब टेक्नीशियन के रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई33/ले.टे/(एफ–685)/2018/338 दिनांक : 30/05/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निदेशक, ई.एस.आई. लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक आदेश की पालना में कार्यग्रहण करने के पश्चात संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त करते हुये पालना से निदेशालय को अवगत करावें।
2. अधीक्षक, एम.बी.एस चिकित्सालय, कोटा।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय न0 3 कोटा।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. श्री जितेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन को पालनार्थ।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर